क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एसपीएल–2, पंचम चरण, रिको औद्योगिक क्षेत्र, किशनगढ़ (अजमेर)

राप्रनिम/क्षैका किश/पीयूबी–284/

दिनांक :

पर्यावरणीय स्वीकृति खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आमसूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि **श्री अरूण बगडिया पुत्र श्री रामदेव बगडिया खनन पटट्ा संख्या 20/2000 ग्राम सरवाड़ द्वारा** गारनेट (अब्रेसिव) खनिज खनन परियोजना मे उत्पादन क्षमता में विस्तार हेतु जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्र. स.	प्रोजेक्ट का नाम	खनन पटट्ा संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	ग्राम	खनिज का नाम	उत्पादन क्षमता टीपीए (आर.ओ.एम.)
1	श्री अरूण बगडिया पुत्र श्री रामदेव बगडिया, खसरा संख्या 3680/39	20/2000	5.0	सरवाड़	गारनेट (अब्रेसिव)	153976

कुल खनन क्षेत्रफल 5.0 हैक्टेयर, कुल खनन उत्पादन क्षमता 153976 टीपीए (आर.ओ.एम.), ग्राम सरवाड़, तहसील सरवाड़, जिला अजमेर से संबन्धित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहॉ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि **श्री अरूण बगडिया पुत्र श्री रामदेव बगडिया खनन पटट्ा संख्या 20/2000 ग्राम सरवाड़** ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के अनुसार समूह लोक सुनवाई हेतु आवश्यक है।

3. उक्त खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है:–
   1. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर।
   2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
   3. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मुल्यांकन समिति, राजस्थान, 04, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
   4. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला–अजमेर।
   5. तहसील–सरवाड़, जिला–अजमेर।
   6. राजीव गांधी सेवा केन्द्र, सरवाड़, तहसील सरवाड़, जिला अजमेर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के पत्र क्रमांक कअ/सामान्य/2023/4809 दिनांक 27.04.2023 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु **दिनांक 02/06/2023 को प्रातः 11:00 बजे, स्थान–राजीव गांधी सेवा केन्द्र, सरवाड़, तहसील सरवाड़, जिला अजमेर** में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षैत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला–अजमेर को भी दिये जा सकते है।

(दीपक तँवर)
पर्यावरणीय अभियंता
एवं क्षेत्रीय अधिकारी